क्रम संख्या—534

रजिस्टर्ड नं० ए० डी० - 4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 25 अक्तूबर, 1980,
कार्तिक 3, 1902 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 2926/सत्रह-वि0-1—79-80

लखनऊ, 25 अक्तूबर, 1980

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1980 के रूप सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1980

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1980]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

(2) यह 27 सितम्बर, 1980 को प्रवृत्त समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां जहां अंक और शब्द "30 सितम्बर, 1980" आये हों उनके स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, अंक और शब्द "30 सितम्बर, 1980" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन

4—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, अंक और शब्द "30 सितम्बर, 1980" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित, मूल अधिनियम या धारा 4 में निर्दिष्ट अधिनियम, के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

No. 2926 (2)/XVII-V-1—79-80

Dated Lucknow October 25, 1980

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Swayatta Shasan Vidhi (Sansodhan) Adhiniyam, 1980 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 1980) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 25, 1980:

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL-SELF GOVERNMENT LAW (AMENDMENT) ACT, 1980

[U. P. ACT NO. 22 OF 1980]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977 and the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act, 1978.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1980.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 27, 1980.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 13 of 1977.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977, hereinafter referred to as the principal Act, *for* the word and figures "September 30, 1980" wherever occurring, the word and figures "December 31, 1981" shall be *substituted.*

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principal Act, *for* the word and figures "September 30, 1980", the word and figures "December 31, 1981" shall be *substituted.*

Amendment section 24 U. P. Act no. 35 of 1978.

4. In section 24 of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act, 1978, *for* the word and figures "September 30, 1980", the word and figures "December 31, 1981" shall be *substituted.*

Repeal and savings.

5. (1) The Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Ordinance, 1980, is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 14 of 1980.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act or the Act referred to in section 4 as amended by the aforesaid Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the said Acts as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SARMA,
Sachiv.

पी0 एस0 यू0 पी0--ए0 पी0 179 सा0 (विधा0)--25-10-80--(2572)--1980--650(मेक0) ।